प्र.स.:– 01/2021
दायर दिनांक:– 22.10.2021
निर्णय दिनांक :– 04.01.2022

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :– कनक जैन (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 01/2021

प्रकरण दायर दिनांक :– 22.10.2021

1. जगदीश पुत्र रामचन्द्र बैरवा जाति बैरवा निवासी दूब्ल्या तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान

(वादी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान

(प्रतिवादी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– श्री रामेश्वर प्रसाद बैरवा, अधिवक्ता वादी।

:: निर्णय :: दिनांक : 04.01.2022

उक्त प्रकरण में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ग्राम दूब्ल्या तहसील लवाण जिला दौसा का निवासी है। ग्राम दूब्ल्या तहसील लवाण स्थित भूमि ख.न. 133 रकबा 0.23 है0, 134 रकबा 0.22 है0, 135 रकबा 0.22 है0, 136 रकबा 0.16 है0, 137 रकबा 0.01 है0, 166 रकबा 0.06 है0, 167 रकबा 0.07 है0, 168 रक[illegible] है0, 169 रकबा 0.05 है0, 170 रकबा 0.01 है0, 171 रकबा 0.06 है0, [illegible] रकबा 0.04 है0, 174 रकबा 0.04 है0, 175 रकबा 0.1 है0, 176 रक[illegible] 0.03 है0, 178 रक[illegible] है0, 179 रकबा 0.24 है0, 180 रकबा 0.15 है0, 181 रकबा [illegible] है0, 182 रकबा 0.3[illegible] 183

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:08:01 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलक्टर
लवाण

रकबा 0.25 है0, 184 रकबा 0.22 है0, 185 रकबा 0.28 है0, 186 रकबा 0.13 है0, 187 रकबा 0.03 है0, 188 रकबा 0.12 है0, 189 रकबा 0.04 है0, 190 रकबा 0.06 है0, 192 रकबा 0.42 है0, 193 रकबा 0.1 है0, 194 रकबा 0.13 है0, 195 रकबा 0.05 है0, 196 रकबा 0.22 है0, 197 रकबा 0.32 है0, 198 रकबा 0.28 है0, 213 रकबा 1.05 है0, कुल खसरा 38 कुल रकबा 6.12 है0 वादी एवं अन्य सह खातेदारों की खातेदारी भूमि पर काश्त पैदावार कर लाभान्वित होते आ रहे है।

उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि वादी के पडदादा नानगा के फौत हो जाने के बाद प्रार्थी के पिता रामचन्द को प्राप्त हुई तथा रामचन्द्र के फौत होने के बाद वादी एवं वादी के भाई रणजीता व मॉ गौरा देवी के नाम विरासत का नामान्तरण खुला। जिसमें प्रत्येक को उक्त वर्णित भूमि का 1/15 हिस्सा प्राप्त हुआ। उक्त वर्णित भूमि का विरासत का नामान्तरण खोले जाने पर, वादी की मॉ गौरा देवी के पति का नाम रामचन्द के स्थान पर उसके ससुर नानगा का नाम अंकित कर दिया गया। वादी की मॉ की एक अन्य खातेदारी की भूमि ख.न. 129, 131, 132, 138 व 139 में वादी की माता का नाम गोरा बेवा रामचन्द्र सही रूप से अंकित है। वादी की मॉ के पति का वास्तविक एवं सही नाम रामचन्द्र है। जिसके प्रमाण में मतदाता पहचान पत्र एवं वादी की मॉ का मृत्यु प्रमाण पत्र मे भी गोरा देवी के पति का नाम रामचन्द अंकित है।

अधिवक्ता वादी ने वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हए, ग्राम दूब्ल्या तहसील लवाण स्थित भूमि ख.न. 133 रकबा 0.23 है0, 134 रकबा 0.22 है0, 135 रकबा 0.22 है0, 136 रकबा 0.16 है0, 137 रकबा 0.01 है0, 166 रकबा 0.06 है0, 167 रकबा 0.07 है0, 168 रकबा 0.08 है0, 169 रकबा 0.05 है0, 170 रकबा 0.01 है0, 171 रकबा 0.06 है0, 172 रकबा 0.04 है0, 173 रकबा 0.04 है0, 174 रकबा 0.04 है0, 175 रकबा 0.1 है0, 176 रकबा 0.03 है0, 177 रकबा 0.03 है0, 178 रकबा 0.03 है0, 179 रकबा 0.24 है0, 180 रकबा 0.15 है0, 181 रकबा 0.24 है0, 182 रकबा 0.31 है0, 183 रकबा 0.25 है0, 184 रकबा 0.22 है0, 185 रकबा 0.28 है0, 186 रकबा 0.13 है0, 187 रकबा 0.03 है0, 188 रकबा 0.12 है0, 189 रकबा 0.04

उप जिला कलक्टर
लवाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:08:01 IST
Reason: SelfAttested

प्र.स.:— 01/2021
दायर दिनांकः— 22.10.2021
निर्णय दिनांक :— 04.01.2022

है0, 190 रकबा 0.06 है0, 192 रकबा 0.42 है0, 193 रकबा 0.1 है0, 194 रकबा 0.13 है0, 195 रकबा 0.05 है0, 196 रकबा 0.22 है0, 197 रकबा 0.32 है0, 198 रकबा 0.28 है0, 213 रकबा 1.05 है0, कुल खसरा 38 कुल रकबा 6.12 है0 जो वादी एवं अन्य सह खातेदारों की खातेदारी भूमि है। जिसके नया खाता संख्या 58 एवं पुराना खाता संख्या 58 है, के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मं वादी की माता के पति का नाम नानगा दर्ज़ हो रहा है, जिसको दुरूस्त फरमाते हुए, वादी की माता के पति का सही नाम रामचन्द अंकन किये जाने का निवेदन किया गया है।

वादी के द्वारा उक्त वाद न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादी पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस के तलबी की गई। पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब में अंकित किया कि ग्राम दुब्ल्या के नामान्तरकरण संख्या 06 द्वारा रामचन्द्र पुत्र नानगा की विरासत मु. गौरा बेवा रामचंदा, जगदीश, रणजीता पि0 रामचंदा के नाम पटवारी के द्वारा विरासत दर्ज की गई थी, किन्तु राजस्व कैम्प दिनांक 28.06.1989 में तहसीलदार दौसा द्वारा दिए गए निर्णय में रामचन्द्र पु. नानगा के बजाय जगदीश, रणजीता पि0 रामचन्द्र व मु. गोरा बेवा नानगा कौम बलाई के नाम स्वीकृत करने के आदेश पारित किए है इस प्रकार मु. गोरा, रामचन्द्र की पत्नि थी, लेकिन तहसीलदार दौसा द्वारा अपने निर्णय में गोरा बेवा नानगा दर्ज कर दिया जो अन्तर्गत धारा 136 के शुद्धि किए जाने योग्य है। वादी ने मु. गोरा बेवा नानगा के स्थान पर मु. गोरा बेवा रामचन्द्र किये जाने के सम्बन्ध में गोरा देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र पेश किये है।

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। ग्राम दूब्ल्या तहसील लवाण जिला दौसा के नामान्तरकरण सं. 06 राजस्व कैम्प दिनांक 28.06.89 के विरासत नामान्तरकरण मृतक रामचन्द्र पुत्र नानगा के वारिसान जगदीश, रणजीता पुत्र रामचन्द्र व मु. गोरा बेवा नानगा कौम बलाई के नाम स्वीकृत हुआ। [illegible] ग्राम दूब्ल्या तहसील लवाण के नया खाता संख्या 58 जमाबंदी संवत् 2075 में [illegible] लवाण की रिपोर्ट

mm

उप जिला कलक्टर
लवाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:08:01 IST
Reason: SelfAttested

प्र.स.:— 01 / 2021
दायर दिनांक:— 22.10.2021
निर्णय दिनांक :— 04.01.2022

नुसार ग्राम दूब्ल्या तहसील लवाण के नामान्तरकरण सं. 06 में रामचन्द्र के वारिसान के नाम त्रृटि, नामान्तरकरण प्रक्रिया के दौरान हुई। जिसे वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दुरस्त नही किया जा सकता है। जिसके ए वादी समक्ष न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करे।

अतः वादी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर, खारिज किया जाता है। करण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

कनक जैन (आर.ए.एस.)
उप जिला कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.06.06 17:08:01 IST
Reason: SelfAttested